न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 867 / 2018

1. शीतल सिंह पुत्र श्री काला सिंह जाति कम्बोज निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
2. गुरमीत सिंह पुत्र श्री चन्दा सिंह जाति कम्बोज निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
3. दीवान चन्द पुत्र श्री मूल चन्द जाति धानक निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
4. जगदीश सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति कम्बोज निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
5. भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री शीतल सिंह जाति कम्बोज निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
6. राजकुमार पुत्र श्री लालबहादुर जाति पाासी निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
7. शिव कुमार पुत्र श्री लालबहादुर जाति पांसी निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
8. राजबहादुर पुत्र श्री सुखई जाति यांसी निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
9. बजरंग सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
10. शिवराज सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
11. परमजीत सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति कम्बोज निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
12. गुरमुख सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति मजहबी निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर
13. केवल कृष्ण पुत्र श्री मूलचन्द जाति धानक निवासी—चक 1 ई छोटी, श्रीगंगानगर

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. हेमन्त गुप्ता पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी— एच एच फार्म चक1 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर
2. वीना गुप्ता पत्नी सुरेन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी एच एच फार्म चक 1 ई छोटी,श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सचिव स्व श्रीमती विद्यावन्ती, लभुराम फाउन्डेशन फार साईस एण्ड सोशल वेलफेर श्रीगंगानगर चिकित्सालय दन्त महाविद्यालीय अन्य रासायनिक एवं अनुसंधान केन्द्र गुप्ता डेन्टल कॉलेज एच एच फार्म,चक 1 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थीगण

...कारी (राजस्व)
...ानगर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री जरनैल सिंह टूरना अधिवक्ता — — प्रार्थी संख्या 1 ता 13
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत अधिवक्ता — — अप्रार्थी संख्या 2 व 3
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी संख्या 4

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 09.05.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–21.01.2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण चक 1 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की आबादी भूमि जो मु.न.25 के किला नम्बर 16,17,18,22 में पडती है, उसमें निवास कर रहे है जिसको आने जाने के लिये रास्ता चक 1 ई छोटी के मु.न.36 के किला नम्बर 3/1, 8/1, 13/1, 18/1, 23/1, 3/2, 8/2, 13/2, 18/2, 23/2 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 18/2 व 23 में मौका पर वर्ष 1947 से समय चल रहा है और प्रार्थीगण को आने जाने के लिये यही एकमात्र रास्ता अन्य कोई रास्ता नही है और राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत न होने के कारण उक्त रास्ता को पक्की सडक ग्राम पंचायत द्वारा नही बनाई जा सकती क्योंकि रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत न होने के कारण सरकारी विभागो द्वारा पक्की सड़क का निर्माण नही किया जा रहा है। जबकि आबादी भूमि व ढाणी में रहने वाले व प्रार्थीगण को आवागमन में बहुत अधिक परेशानी होती है। बरसात के समय में सड़क पर खड्डे पड जाते है जिससे प्रार्थीग्गण को बहुत अधिक परेशानीयां सहनी पडती है क्योंकि साधन भी कच्ची सडक पर नही चल सकते है और न ही कोई साधन किराये पर आता है अगर कोई बीमार आदि हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाने के लिये कोई साधन उपलब्ध नही होता है व आने जाने वाले स्कली बच्चो को भी साधन उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए रास्ता नही होने के कारण बहुत अधिक परेशानी का करना पड़ता है जबकि मौका पर रास्ता चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत न होने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थीगण की देखादेखी में यह रास्ता सन् 1947 से मौका पर चालू है व रास्ते के दोनो तरफ अप्रार्थीगण संख्या। ता 3 द्वारा दीवार निकाल रखी है और अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी रास्ते वाली जगह की भूमि का परित्याग कर रखा है और मौका पर आज भी रास्ता चल रहा है इसलिये अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवाने में ऐतराज करने के अधिकारी नही रहे है क्योंकि मौका ग्राम पंचायत द्वारा भूमि विक्रय विलेख के पटटे भी जारी किये हुए है प्रार्थीगण को क्योंकि राजस्व रिकार्ड में रकबा उनके नाम से दर्ज होने के कारण वह आवश्यक पक्षकार है इसलिये उन्हे पक्षकार बनाया गया है। आबादी भूमि के लिये प्रार्थी व प्रार्थीगण के लिये यही रास्ता सुविधाजनक है जो कि मौका पर चल रहा है इसलिये रास्ता

को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करने में भी कोई कानूनी बाधा नही है क्योंकि राज्य सरकार की नीति भी है कि प्रत्येक गांव व ढाणी को पक्की सडक से जोडा जावे जिससे उन्हे आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवाई जावे इसलिये इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए चक 1 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मु.न.36 के किला नम्बर नम्बर 3/1, 8/1, 13/1, 18/1, 23/1, 3/2, 8/2, 13/2, 18/2, 23/2 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 18/2 व 23 में से 2–2 बिस्वा रास्तू चाला रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज किया कि मुरब्बा नम्बर 36 3/1, 8/1, 13/1, 18/1, 23/1, 3/2, 8/2, 13/2, 18/2, 23/2 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 18/2 व 23 में से 2–2 बिस्वा चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 09.05.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण चक 1–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 25 में किला नम्बर 16, 17, 18, 22 एवं मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, 28 अथवा किसी अन्य भूमि के खातेदार नहीं हैं और न ही इनकी इस चक में कोई कृषि भूमि है। धारा 251(क) के प्रावधान कृषि भूमि के सम्बन्ध में आकर्षित होते हैं, जहां अपनी भूमि में आवागमन के लिए कृषक को रास्ते की आवश्यकता हो। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि चक 1–ई छोटी में मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 16, 17, 18, 22 व अन्य वर्णित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की व्यक्तिगत अकृषि भूमि है जहां पर प्राथीगण के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। पूर्व में यह भूमि बीकानेर राज परिवार की थी और बीकानेर राज परिवार के सदस्यों से यह भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा खरीद की गयी एवं राज परिवार के समय से यह भूमि एच.एच. फार्म के नाम से जानी जाती थी और राज परिवार के द्वारा एच. एच. फार्म की देखभाल के लिए प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों को नियुक्त किया हुआ था और उन्हें रहने के लिए यह जगह सुविधा हेतु दी हई थी। अप्रार्थीगण के द्वारा राज परिवार से इस भूमि को खरीद किये जाने के उपरान्त एच.एच. फार्म के स्थान पर सुरेन्द्रा डैन्टल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की गई और कृषि का कार्य न होने के कारण प्रार्थीगण के साथ–साथ अन्यों को जगह खाली करने के लिए कहा गया, जिनमें से अधिकांश लोग जगह खाली कर गये, लेकिन प्रार्थीगण के द्वारा जगह खाली नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य की ओर से इनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में बेदखली के वाद दायर किये गये और वे समस्त वाद इनके विरुद्ध निर्णीत होकर सिविल न्यायालय के द्वारा बेदखली की डिक्री पारित की जा चुकी है और इनके विरुद्ध इन लोगों ने न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत कर रखी हैं और इस प्रकार प्रार्थीगण के द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को परेशान किये जाने के उद्देश्य से यह प्रकरण रास्ता के लिए प्रस्तुत किया

गया है, जबकि विधि के अनुसार कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हो सकता और रास्ता केवल कृषि भूमि के सम्बन्ध में उन्हीं रिकॉर्डेड खातेदारों की कृषि भूमि के लिए और उनके – पक्ष में स्वीकृत हो सकता है, यदि ऐसे रिकॉर्डेड खातेदार के पास आवागमन के लिए कोई रास्ता न हो। स्वीकृत रूप से प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3/1, 8/1, 13/1, 18/1, 23/1, 3/2, 8/2, 13/2, 18/2, 23/2 व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 18/2 व 23 में कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वे चक 1–ई छोटी की बतलाई गई आबादी भूमि, जो कि राजकीय आबादी भूमि नहीं है, बल्कि अप्रार्थीगण की निजी आबादी भूमि है, के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 16, 17, 18, 22 के न तो रिकॉर्डेड खातेदार हैं और न ही किसी भी प्रकार से हित व अधिकार धारित रखने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि प्रार्थीगण अतिक्रमी हैं और इनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय के द्वारा बेदखली के आदेश भी हो चुके हैं। अतः जवबा प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यय सहित खारिज किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई।

बहस प्रार्थना पत्र 251 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत केवल कृषि कार्यों हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अनुतोष में गैरमुमकिन आबादी क्षेत्र से रास्ता लेने की मांग की गई है। गैरमुमकिन आबादी क्षेत्र से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) में रास्ता स्वीकृत किये जाने के प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.02.07 17:04:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: